राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–09/2019
पीठासीन अधिकारी:– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थी:– भजनाराम उर्फ भगवानाराम पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी ग्राम श्री कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:–सरकार जरिये तहसीलदार, बापिणी जिला जोधपुर।

उपस्थिति:–

1. श्री दिनेशकुमार मदेरणा वकील प्रार्थी की और से।
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक:–30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम श्री कृष्णनगर के खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 24.08 बीघा, खसरा नम्बर 30/8 रकबा 36.00 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता केसाराम पुत्रपेमाराम व तेजाराम पुत्र पेमाराम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई थी, उक्त खसरा की भूमि की चालू जमाबंदी की प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश की गई है। उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी के पिता केसाराम के देहांत के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 107 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये जबकि प्रार्थी का परिचय पत्र व राशन कार्ड आदि में भजनाराम पुत्र केसाराम नाम अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय प्रार्थी का नाम सहवन से भगवानाराम दर्ज कर दिा गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भजनाराम है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि श्री कृष्णनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 24.08 बीघा व खसरा नम्बर 30/8 रकबा 36.00 बीघा भूमि [illegible] भगवानाराम के स्थान पर भजनाराम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करा[illegible]

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज [illegible] का जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, [illegible] प्रार्थी के प्रार्थना प[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के जवाब में बताया कि प्रार्थी के नाम कृष्णनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 24.08 बीघा, खसरा नम्बर 30/8 रकबा 36.00 बीघा में प्रार्थी का ना मभगवानाराम पुत्र केसाराम दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में भजनाराम पुत्र केसाराम दर्ज है, गांव में पडौसियों से पूछताछ करने पर बताया कि भगवानाराम व भजनाराम एक ही व्यक्ति है। अतः भगवानाराम पुत्र केसाराम की जगह भजनाराम पुत्र केसाराम किया जाना उचित है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत को दोहराते हुए बताया कि भगवानाराम गलत दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक नाम भजनाराम है, अतः शुद्ध किया जावे, अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि भगवानाराम प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया है, जिसे शुद्ध किया जाकर भगवानाराम के स्थान पर भजनाराम किया जाना उचित है।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है तथा तहसीलदार,बापिणी के द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिला है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः श्री कृष्णनगर के खसरा नम्बर 11 रकबा 24.08 बीघा व खसरा नम्बर 30/8 रकबा 36.00 बीघा भूमि में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर भजनाराम पुत्र केसाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, बापिणी उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड शुद्धिकरण करें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner